कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक दिनांक 10.01.2018

प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 10.01.2018 को एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी की बैठक में मैसर्स राजेन्द्र प्रसाद कॉन्ट्रेक्टर, भिरानी द्वारा अनुबंध संख्या 14 वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत संवेदक फर्म को आवंटित कार्य "Rehabilitation of Ratanpura Disty. of Bhankhra Canal System under RAJAMIIP JICA" के क्लॉज 23 के तहत प्रस्तुत क्लेम्स पर सुनवाई कर निर्णय लिये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लिया:–

1. श्री चन्द्रवीर सिंह रत्नावत, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री जाकिर हुसैन, संयुक्त शासन सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री एम. आर. डूडी, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान जयपुर।
4. श्री के. एल. जाखड़, मुख्य अभियन्ता जल संसाधन उत्तर, हनुमानगढ़।

विभाग की ओर से अधिशाषी अभियन्ता, जल ससांधन खण्ड प्रथम, हनुमानगढ़ एवं संवेदक स्वयं उपस्थित हुए।

कार्य एवं विवाद का संक्षिप्त विवरण :–

रिहेबिलीटेशन ऑफ रतनपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ भाखड़ा केनाल सिस्टम कार्य अनुबंध संख्या 14/2012–13 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र प्रसाद ठेकेदार, भिरानी को राशि रूपये 1,76,98,115/– का आवंटित किया गया था। अनुबंध अनुसार कार्य प्रारम्भ करने एवं समाप्त करने की दिनांक कमशः 05.07.2012 एवं 04.03.2013 थी। फर्म द्वारा वास्तव में कार्य दिनांक 21.03.2014 को पूर्ण किया गया, इस प्रकार फर्म द्वारा यह कार्य 243 दिवस के विरूद्ध 611 दिवस में पूर्ण किया गया। अतः मुख्य अभियन्ता, हनुमानगढ़ द्वारा पत्र कमांक 16055 दिनांक 31.12.2014 द्वारा 10 प्रतिशत शास्ति राशि रूपये 1769811/– आरोपित करते हुए कार्य की समयावृद्धि स्वीकृत की गई। समयावृद्धि प्रकरण की पुनः समीक्षा कर पत्रांक 5200 दिनांक 30.06.2015 द्वारा वास्तविक किये गये कार्य राशि रूपये 1,31,09,579/– पर अधिकतम 10 प्रतिशत शास्ति राशि रूपये 13,10,957/– आरोपित कर स्वीकृत की गई।

संवेदक द्वारा स्वीकृत किये गये समयावृद्धि प्रकरण को न्यायोचित नहीं होना सूचित कर पुनः समीक्षा कर समयावृद्धि स्वीकृति का निवेदन किया गया। संवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील के तहत समयावृद्धि प्रकरण की समीक्षा उच्चतर अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है। अतः संवेदक द्वारा उनकी सुनवाई हेतु अनुबंध में क्लाज 23 के अन्तर्गत विवाद दायर किया गया है।

कमेटी ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं अभिलेखों का अवलोकन किया तथा दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों को सुना जा कर क्लेम वाईज निम्नानुसार निर्णय धारित किया गया :-

क्लेम संख्या 1 :-गलत, अवैध एवं असंविदात्मक रूप से लगायी गयी क्षतिपूर्ति राशि के आदेश को निरस्त करने बाबत्।

संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत किया गया कि कार्य करने में कार्यस्थल पर बाधाऐं थी, जिसके कारण मैं समय पर कार्य पूर्ण नहीं कर पाया। टेल के 250 मी. लम्बाई में नहर की पर्याप्त जगह न होकर केवल 16½ खाले की जगह ही उपलब्ध थी, जिस कारण कार्य में देरी हुयी उसके लिए फर्म जिम्मेवार नहीं है।

अधिशाषी अभियन्ता ने कमेटी को अवगत किया कि कार्य के बाधा रजिस्टर के अनुसार कार्यस्थल पर किसी प्रकार की बाधा नहीं थी, संवेदक की प्रगति प्रारम्भ से ही स्पान वाईज अत्यन्त कम रही तथा विभाग द्वारा निरन्तर कार्य की प्रगति के लिए लिखा गया, लेकिन संवेदक द्वारा कार्य वांछित प्रगति से नहीं किया जिसके लिए फर्म स्वयं जिम्मेवार है। टेल की 250 मी. लम्बाई में भी जल उपयोक्ता संगम तथा काश्तकारों द्वारा कार्य में सहमति प्रदान करने के उपरान्त भी फर्म द्वारा जानबूझकर कार्य में देरी की तथा अन्त में उसी जगह कार्य भी पूर्ण किया गया। इसका तात्पर्य है कि कार्य पूर्व में भी समय पर किया जा सकता था, लेकिन संवेदक द्वारा अपनी गलती से कार्य समय पर सम्पादित नहीं किया। फर्म द्वारा निर्धारित समयावधि (दिनांक 04.03.2013) तक राशि रूपये 61.27 लाख का कार्य सम्पादित किया तथा उस समय कुल सम्पादित कार्य की राशि से 69.83 लाख रूपये का कार्य शेष था जो फर्म द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात् दिनांक 21.03.2014 तक पूर्ण किया गया। अतः मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन उत्तर, हनुमानगढ़ के आदेश कमांक 5200 दिनांक 30.06.2015 द्वारा राशि रूपये 13,10,957/- (13.109 लाख) की कुल सम्पादित कार्य पर 10 प्रतिशत शास्ति आरोपित कर समयावधि प्रकरण स्वीकृत किया गया है।

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों एवं अभिलेख के अवलोकन उपरान्त कमेटी ने यह पाया कि फर्म द्वारा अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक तक 61.27 लाख का कार्य कर लिया था तथा राशि रूपये 69.83 लाख का ही कार्य शेष था जिसके लिए फर्म द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 17.11.2016 के अनुसार उक्त शास्ति को निर्धारित पूर्ण अवधि के पश्चात शेष कार्य 69.83 लाख पर 10 प्रतिशत राशि रूपये 6.98 लाख संशोधन का भी निवेदन किया गया है। अतः कमेटी ने अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की दिनांक को शेष रहे कार्य राशि रूपये 69.83 लाख पर 10 प्रतिशत शास्ति आरोपित करते हुए कार्य की समय सीमा में वृद्धि का निर्णय लिया गया।

क्लेम संख्या 2 :- कार्य के मूल्य वृद्धि बिल पेटे राशि रूपये 2,21,561/-

अधिशाषी अभियन्ता ने कमेटी को बताया कि कार्य के मूल्य वृद्धि बिल पेटे राशि रूपये 2,21,561/- अनुबंध के क्लाज 2 के अनुसार कार्य पर विलम्ब के लिए शास्ति आरोपित किये जाने के कारण फर्म को किसी प्रकार का मूल्य वृद्धि देय नहीं है।

कार्य को पूर्ण करने में देरी के लिए फर्म को दोषी मानते हुए शास्ति आरोपित किये जाने के कारण से मूल्यवृद्धि क्लेम देय नहीं होने के कारण कमेटी द्वारा क्लेम को निरस्त किया गया।

क्लेम संख्या 3 :—अनिष्पादित कुल ठेका राशि रूपये 45,88,536/— पर 10 प्रतिशत की दर से लाभांश की हानि/डेमेजेज की राशि रूपये 4,58,854/—

कार्य की वास्तविक परिस्थितियों अनुसार मौके पर डीआरबी, घाट आदि का निर्माण नहीं करवाया गया। अतः फर्म द्वारा इस पर किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जाने तथा अनुबंध में कार्य कम—ज्यादा करने के प्रावधान अनुसार किया गया है।

प्रस्तुत तथ्यों एवं अभिलेखों के आधार पर यह क्लेम आधारहीन पाया गया अतः कमेटी द्वारा क्लेम को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

क्लेम संख्या 4 :—फर्म द्वारा दी गई बैंक गारन्टी को रिलिज करने बाबत्।

फर्म की बैंक गारन्टी सिक्योरिटी डिपोजिट तथा विलम्ब के लिए शास्ति हेतु रोकी गई राशि के पेटे ली गई है। अन्तिम शास्ति की राशि काटकर तथा अनुबंध अवधि समाप्त होने पर फर्म आवेदन कर शेष राशि बैंक गारन्टी की रिलीज करवा सकती है।

उक्त क्लेम पर किसी प्रकार के निर्णय की आवश्यकता नहीं होने के कारण कमेटी द्वारा यह क्लेम निरस्त किया गया।

क्लेम संख्या 5 :—उपरोक्त वर्णित क्लेम संख्या 1 से 3 की राशियों पर ब्याज।

क्लेम संख्या 1 से 3 में कोई भी क्लेम फर्म को देय नहीं होने के कारण ब्याज की मांग का क्लेम भी कमेटी द्वारा निरस्त किया गया।

(के. एल. जाखड़) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन उत्तर, हनुमानगढ़	(एम. आर. डूडी) अति. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन राज. जयपुर	(चन्द्रवीर सिंह रत्नावत) संयुक्त विधि परामर्शी, प्रतिनिधि विधि विभाग	(जाकिर हुसैन) संयुक्त शासन सचिव, प्रतिनिधि वित्त विभाग	(शिखर अग्रवाल) प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर।